**भारत सरकार**
**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**
**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2219**
**उत्तर देने की तारीख : 04.07.2019**

## हज कोटा

**2219. श्री पी.के. कुनहालिकुट्टी:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की यात्रा के परिणामस्वरूप वर्ष 2019 में हज के लिए भारत को कोई अतिरिक्त कोटा मिला है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोटा सरकारी और निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) को वितरित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिस आधार पर कोटा राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, उसका ब्यौरा क्या है?

## उत्तर

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** **(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)**

**(क):** जी, हां। 2013 में भारत को आबंटित हज कोटा 1,36,020 था। गत पांच वर्षों में हज कोटा 63,980 बढ़ गया है। इस वर्ष 2,00,000 यात्री हज के लिए जाएंगे। इस बार 2,00,000 हाजी बिना किसी आर्थिक सहायता के हज करेंगे। भारत के इतिहास में यह एक रिकॉर्ड संख्या है।

**(ख) और (ग):** 2,00,000 तीर्थ–यात्रियों के कुल कोटे में से 1,40,000 यात्रियों का कोटा भारतीय हज समिति को और 60,000 यात्रियों का कोटा हज समूह आयोजकों को आबंटित किया गया है जिन्हें पूर्व में निजी टूर ऑपरेटर (पीटीओ) के रूप में जाना जाता था। 60,000 के इस आबंटन में 10,000 सीटें भारतीय हज समिति की दरों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जाएंगी।

**(घ):** भारत सरकार ने एक अत्यंत पारदर्शी और 100% डिजिटल प्रणाली अपनायी है और तीर्थ–यात्रियों तथा एचजीओ के लिए हज पोर्टल (http://haj.nic.in/pto ; http://indianhajpto.gov.in) तैयार किया है। इस बार 18 राज्यों में 100% आवेदक हज के लिए जा रहे हैं। भारतीय हज समिति को आबंटित हज कोटा 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर आबंटित किया जाता है। राज्यों के अप्रयुक्त कोटे के कारण अधिशेष सीटें मेहरम को 500 सीटें, विशेष उपाय के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य को 2000 सीटें, 500 अथवा कम हज आवेदन फार्म प्राप्त करने वाले किन्तु सभी आवेदनकर्ताओं की मांग को पूरा न कर सकने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तथा मेहरम के बिना हज को जा रही महिलाओं को पूर्ण कोटा देने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद भी शेष रहे कोटे को प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुपात में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आगे आबंटित कर दिया जाता है।

******